

प्रेषक,

डॉ० चन्द्र भूषण,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सड़क),  
लो०नि०वि०, लखनऊ उ०प्र०।

लोक निर्माण अनुभाग:-5

लखनऊ: दिनांक 16 सितम्बर, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं०-55, पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4059-80-051-20-00-24 "राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य" के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में राजभवन स्थित मुख्य भवन की छत पर वाटरपूफिंग के कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ (बजट ख वर्ग) के पत्र सं०-162बीजीबी/109बीजीबी/राजभवन(भारित)/2020-21, दिनांक 17.08.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्य हेतु उसके सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित धनराशि **रु० 65.29 लाख(रु० सैंसठ लाख उन्तीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत धनराशि	आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
(धनराशि लाख रु० में)						
1	28/2020/34आ०/23-5-20-50(66)ईजी/14टीसी, दिनांक 30.03.2020	जनपद लखनऊ में राजभवन स्थित मुख्य भवन की छत पर वाटरपूफिंग का कार्य।	103.09	00.00	103.09	65.29
योग :-			103.09	00.00	103.09	65.29

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-55 के अन्तर्गत पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-20-राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य-00-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्य हेतु स्तम्भ-2 में वर्णित शासनादेश की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा०सं०-यू०ओ०-ई-8-1848/दस/2020, दिनांक 15.09.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डॉ० चन्द्र भूषण  
विशेष सचिव।

..../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**संख्या:-55/2020/946(1)/23-5-2020-तददिनांक**

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
  - 2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
  - 3- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, 30प्र0।
  - 4- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी लखनऊ।
  - 5- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्यमंत्री/मा0 मंत्री, लो0नि0वि0, 30प्र0।
  - 6- निदेशक, कोषागार, 30प्र0 लखनऊ।
  - 7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, 30प्र0 लखनऊ।
  - 8- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
  - 9- अधीक्षण अभियन्ता, 39वां वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
  - 10- अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड-1(सिविल), लो0नि0वि0, लखनऊ।
  - 11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10
  - 12- श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
नीरजा सक्सेना  
उप सचिव।